

Interpretation of statute

Topic

Interpretation of Taxing.

and

Harmonious Construction

Date . 26/05/2020

Dr NIShat Jhan NAS college

Meerut

उत्तर -

कर विधान के निर्वचन के नियम

(Rules of interpretation of Taxing or Fiscal Statutes)

कर अधिरोपित करने वाले अथवा भवीय भार ढालने वाले कानूनों का अर्थान्वयन ठोर होता है। इस सिद्धान्त के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि कर का अधिरोपण एवं अधिरोपण के समान है, जिसे तभी अधिरोपित किया जाना चाहिए जबकि विधि की भाषा स्पष्ट रूप से ऐसा निर्देश है।

कर विधान के निर्वचन के निम्नलिखित नियम हैं-

1. कर अधिनियम के निर्वचन का सामान्य नियम—एक कर अधिनियम की व्याख्या सामान्य नियम यह है कि अधिनियम की भाषा को न तो खींच—तानकर गल्य के पश्च अर्थ किया जाये और न उसको संतुलित करके कर दाता के पक्ष में अर्थ किया जाये। क वित्तीय अधिनियम का साम्यिक अर्थ किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। यदि इस व्यक्ति पर कर लगाना चाहा गया है निष्कपट रीति से और प्रत्यक्षतः कानून के अक्षरों अन्तर्गत आता है तो उस पर कर लगाया जाना चाहिये।

किसी पर कर लगाते समय स्पष्ट रूप से कर का निर्धारण स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए; यदि शब्दों की परिधि में कर नहीं लगाया गया है तो कर मान्य नहीं है। जहाँ शब्द हीं वहाँ कर नहीं।

उस परिस्थिति में जबकि किसी कर कानून में अस्पष्टता हो तो निर्वचन किया जाना चाहिए जिससे निर्धारिति को लाभ हो। परन्तु छूट अधिसूचना के सम्बन्ध में यह नियम लागू हीं होगा, क्योंकि ऐसे मामले में निर्धारित को यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह छूट की परिधि के अन्तर्गत आता हैं। टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि. बनाम झारखण्ड राज्य, आई.आर. 2005 एस. सी. 2871)

2. शब्दों का साधारण अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए— न्यायालय का यह कर्तव्य ही है कि वह कर अधिनियम की भाषा को खींचतान कर या उसका अप्राकृतिक अर्थ करके उसके अभाव को दूर कर दे। लाई रीड ने डब्ल्यू. एम. कोरी एण्ड संस लिमिटेड बनाम आई.आर.सी. [(1935) 1 All E.R.864] में कहा है कि कर अधिनियम के शब्दों की करदाता के विरुद्ध कभी विस्तृत नहीं किया जाना चाहिए।



अर्थे अनुमान अथवा प्रकल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए— कर अधिनियम कर अर्थे करने में सामिक रूप से विचार करना प्रकल्प प्रश्न के बाहर की बात है। किसी कर—अधिनियम की व्याख्या अनुमान अथवा प्रकल्पना पर नहीं की जा सकती।

व्यायालय को अधिनियम के शब्दों पर भीष्म ध्यान देने चाहिए और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। करारोपण हेतु कर की भाषा उपर दोनों चाहिए यदि ग्रन्थ नहीं तो कर नहीं। जि:सरेह यदि सीधियि के शब्द असमान होते हैं, तो कर का भी परिणाम ऐसा ही होगा। अतः करारोपण हेतु कर सीधियि की भाषा को उसी शास्त्रिक एवं सहज शब्दों में लेना चाहिए।

इसको अधीनयन के द्वारा दूसरे आशय में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। अतः करारोपण विधि का निर्वचन कठोर करना चाहिए। आई.टी.सी.लि. बनाम कल्पितना ऑफ सेन्ट्रल इक्समाईज ब्यू.डेलही, ए.आई.आर. 2005 एम.सी. 749.

इन कर आयुक्त अहमदाबाद बनाम एलिस जिम्ब्राना (AIR 1998 S.C. 120) के मामले में उच्चतम व्यायालय ने निर्णीत किया कि विवक्षित आधार पर किसी पर भी कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को आए में स्थान गव्हर्नर द्वारा परिधि में नहीं लाया जाता है तब उस पर कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। अर्थे विधि वज्रे कल्पित आत्मा (स्प्रिट) पर आधारित नहीं होना चाहिए— यह एक समान्य सिद्धान्त है प्रजा कल्पित विधि की आत्मा कर देने के लिए देन्द्रार नहीं है क्योंकि यह संभवतः अनिश्चितता और भ्रम कारित करेगी।

मामले के सार के अनुसार अर्थ—यदि युक्तियुक्त हो—‘मामले के सार के अनुसार’ कर अधिनियम की व्याख्या के प्रश्न पर कानूनी राय में मतभेद है। लाई राइट के अनुसार, कानूनी दायित्व की वास्तविक प्राकृतिक वास्तविक संव्यवहार से उत्पन्न होती है और सार कोई अन्य वस्तु नहीं है। सार का सिद्धान्त ऐसा कि लाई नारपांड ने कहा है कि कानून की सुनहरी शाखा और सीधी शाखा को स्वविवेक की अनिश्चित और द्वृढ़ रस्सी से प्रतिस्थापित करने के समान हैं। किन्तु मैक्सेवल ने कुछ मुकदमों को उदाहरण दिया है जिनमें व्यायालयों ने सामान्य वसूली की धाराओं का प्रयोग किया है जो टैक्स किये जाने वाले संव्यवहार के सार को देख कर किया हैं।

निर्णीत बाब

1. वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन बनाम उत्पाद शुल्क आयुक्त, उत्तर प्रदेश (AIR 1971 S.C. 374) में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कुछ औषधियों टिक्कावर और स्प्रिट मिलाकर तैयार की जाती थीं। चूंकि टिक्कावर और स्प्रिट में ऐल्कोहल होता है इसलिये अपीलार्थी को औषधीय और प्रशासन निर्धारितियों (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अंतर्गत ऐल्कोहल का अर्थ शुद्ध ऐल्कोहल से है और चूंकि औषधियों तैयार करने में शुद्ध ‘ऐल्कोहल’ शब्द को कठोर रूप में अपने पक्ष में निर्वाचित करने की प्रार्थना की क्योंकि प्रस्तुत दृष्ट्यान्त में कर कानून के निर्वचन का प्रश्न था। उच्चतम व्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुये अधिनिर्धारित किया कि कर कानून के कठोर निर्वचन का अर्थ यह

है कि व्यक्ति कर अदा करने के लिये केवल तभी बाध्य है जब उसे ऐसा करने के लिये कानून की भाषा स्पष्टतः कहे, और जब दो युक्तियुक्त अर्थ निकलते हों तो वह अर्थ स्वीकार किया जाना अनिवार्य है जो निर्धारिती को लाभ पहुँचाता हो। 'एल्कोहल' शब्द के दो अर्थ नहीं होते। इसका केवल एक ही स्पष्ट और असंदिग्ध अर्थ है यदि किसी औषधि अथवा प्रसाधन निर्भित में ऐल्कोहल का प्रयोग हुआ हो तो अधिनियम के अंतर्गत उस पर शुल्क अदा करना अनिवार्य है।

2. इण्डियन होटल्स कं. लि. बनाम इन्कम टैक्स ऑफीसर मुख्याई |(2000) 7 SCC 39) के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 (The Income Tax Act, 1961) में उल्लिखित शब्द विनिर्माण की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस शब्द का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, परन्तु यहां उनका अर्थ अधिनियम में प्रयुक्त उद्देश्य तथा भाषा के होना चाहिए। इस सन्दर्भ में धारा 80-जे के तहत प्राप्त छूट नवी वस्तुओं के उत्पादन पर होगी, यह उन मामलों पर लागू नहीं होगी जो कि प्रसंस्करण के द्वारा बनाये जाते हैं। होटल व्यवसाय में आटा, चावल, जैसी वस्तुएं बनाना विनिर्माण में नहीं आते हैं।

प्रश्न 10 (अ). समन्वयपूर्ण निर्वचन के नियम की व्याख्या कीजिए। उसके प्रयोग के कुछ उदाहरण दीजिए।

Discuss the rule of Harmonious construction. Give Some example of its application also. (OR)

"अधिनियम के शब्द कि उनके अर्थ में संदेह है, इस अर्थ में समझे जाते हैं जिनमें वे अधिनियम की विषय-वस्तु के साथ सर्वोत्तम रूप में सामंजस्यपूर्ण होते हैं। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

"The words of statute, when there is a doubt about their meaning, are to be understood in the sense in which they best harmonize with the subject matter of the enactment." Discuss with illustrations.

उत्तर - समन्वयपूर्ण या समंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन या निर्वचन का नियम

(The Rule of Harmonious Construction)

'सामंजस्यपूर्ण अथवा समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन या निर्वचन' सिद्धान्त के अनुसार, जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध एक-दूसरे के विरुद्ध हों तो न्यायालय उन उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे यदि संभव हो तो सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे कोई उपबंध प्रभावहीन अथवा निरर्थक न हो जाए। ऐसा तभी संभव है जब न्यायालय या तो ऐसे विरोधपूर्ण लगने वाले उपबंधों को अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित माने अथवा यह माने कि एक उपबंध दूसरे उपबंध के अंतर्गत दिए गए साधारण नियम का अपवाद है। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धान्त का आधार विधायिका का आशय स्वयं को ही खंडित करना नहीं होता है।

किसी विशिष्ट उपबन्ध का इस प्रकार निर्वचन नहीं। कथा गला पकड़ा जा सकता है कि उपबन्ध की अवहेलना हो (मै0 ब्रिटिश जिससे उसी अधिनियम के अधीन संबंधित दूसरे उपबन्ध की अवहेलना हो (मै0 ब्रिटिश एयरवेज व्यक्ति प्रभारी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 829) बंगाल इम्प्रूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य [AIR 1955 S.C. 661] में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन एक ऐसा प्रमुख सिद्धांत है कि जब किसी कानून में दो ऐसे उपबन्ध हों जिसमें आपस में टकराव हो जिससे कि दोनों को उचित न माना जा सके तब यदि संभव हो तो दोनों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि दोनों को ही प्रभावी बनाया जा सके और ऐसा सामंजस्य जो उनमें से किसी उपबन्ध को अप्रभावी या अनुपयोगी बना दे, केवल अंतिम सहारे को छोड़कर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

जहां पर किसी संविधि में दो विरोधाभासी प्रावधान हों एक दूसरे से विपरीत विचार व्यक्त करते हों वहाँ पर यथासम्भव उनका अर्थान्वयन ऐसे ढंग से करना चाहिए कि दोनों उपबन्धों को लागू किया जा सके तथा दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। (सुल्लाना बेगम बनाम प्रेमचन्द्र जैन, ए. आई. आर. 1997 एस. सी 1006)

जगदीश सिंह बनाम उपराज्यपाल दिल्ली [AIR 1997 S.C. 2239] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी नियम के विभिन्न उपबन्धों के बीच विरोधाभास होने पर सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए और उनके अन्तर्गत बनाये गये कानून या नियम को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए। एक उपबन्ध को दूसरे उपबन्ध के परिप्रेक्ष्य में अर्थान्वयित किया जाना चाहिए जिससे कि नियम अनुकूल हो सके। उन्हीं नियमों में एक नियम को विफल कर देना उचित नहीं है।

टी. एम. ए. पार्ड फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 355) वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि सांविधानिक प्रावधानों का निर्वचन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका निर्वचन इस प्रकार न हो जिससे अन्य उपबन्ध निरर्थक हो जायें। यदि आवश्यक हो तो प्रयोजनपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण निर्वचन किया जाना चाहिए।

निर्णीत मामले (Decided Cases)

1. बम्बई राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा (AIR1951 SC 318) में बम्बई विधायिका द्वारा पारित बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 द्वारा “लिकर” (मद्य) के उत्पादन एवं विक्रय को सेकने की पूर्ण शक्ति रखता है। प्रथम सूची की प्रविष्टि 19 में शब्द “आयात” स्वयं में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने क्षेत्र में, जिसमें वह निवास करता है। आयातित, वस्तुओं के विक्रय अथवा कब्जा को सम्मिलित नहीं करता है। अतः द्वितीय सूची की प्रविष्टि 31 व प्रथम सूची की प्रविष्टि 19 में कोई विरोध नहीं है। कारण 1949 का अधिनियम जहाँ तक विदेशी पान का कब्जा, उपयोग तथा विक्रय को निर्बन्धित करने का प्रयास करता है, केन्द्रीय विधायिका के क्षेत्र में कोई दखलांदाजी नहीं करता है।

2. कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान राज्य (AIR 1992 SC 1789) के मामले में मोटर क्लीकल अधिनियम, 1988 की धारायें 100 (4) एवं 217 (2) के निर्वचन की व्याख्या की गई थी। धारा 100 (4) उल्लिखित करती थी कि ऐसे मामलों को प्रस्ताव के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर निबटाया जाना चाहिये अन्यथा वे समाप्त हो जायेंगे। जबकि ऐसा कोई नियम पुराने अधिनियम में नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिधारित किया कि समय की गणना प्रस्ताव के प्रकाशन से नहीं होगी, बल्कि अधिनियम लागू होने की तिथि से होगी।

3. ए. जी. बरदराजुलू बनाम तमिलनाडू राज्य (AIR 1998 S.C. 1388) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिधारित किया कि सर्वोपरि खण्ड की व्याख्या करते समय, जिसके अन्तर्गत विधायिका किसी धारा को अभिभावी प्रभाव देना चाहती है न्यायालय को यह मालूम करने का प्रयास करना चाहिए कि विधायिका किसी एक धारा पर किसी अन्य धारा को किस सीमा तक अभिभावी प्रभाव देना चाहती है। विधायिका के ऐसे आशय को धारा के अधिनियमन भाग से मालूम करना चाहिए।